न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 –76 / 18
दायरा दिनांक –12.10.2018
निर्णय दिनांक –30.09.2019

बउनवान

1. तुलसीराम उम्र 64 वर्ष पुत्र लक्ष्मण जाति खैरवा निवासी खैरूना तहसील किशनगंज बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, एवं 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–30.09.2019

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक रामकिशन नागर इस आशय का पेश किया –

1. यह कि वाकै ग्राम खेरूना पटवार हल्का सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां मे आराजी ख0सं0 314 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा सिवाय चक किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है। जिसको वाद पत्र मे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी दिनांक 26.06.1977 को वादी को आवंटित की गई थी। और आवंटन के बाद वादी को दखल दिया गया था। उक्त आवंटन के बाद इंन्तकाल नं0 78 दिनाक 31.10.1977 से वादी के नाम प्रतिवादी द्वारा गैर खातेदारी मे नामान्तकरण खोलकर तस्दीक किया गया। उसके बाद वादी को प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी का खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन के बाद से उक्त आराजी पर वादी बहैसीयत गैर खातेदार एवं बाद मे खातेदार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चला आ रहा था और वादी का उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।
3. यह कि गैर खातेदारी मे नामान्तकरण नं0 78 दिनांक 31.10.1977 खोलकर तस्दीक करते समय प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों ने वादी के पिता का नाम लक्ष्मण की बजाय अमरलाल दर्ज कर दिया और रकबा 2.06 बीघा के बजाय 2.05 बीघा दर्ज कर दिया । इस नामान्तकरण नं0 78 दिनांक 31.10.1977 की अपील क्रमांक 20 / 2014 वादी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद में पेश की जहॉ पर वादी की अपील को स्वीकार किया जाकर दिनांक 16.08.2016 यह निर्णय पारित किया कि ग्राम खैरूना का इंतकाल नं0 78 दिनांक 31.10.1977 निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट / वादी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर एवं उसके पिता के सही नाम की भली भांती जॉच की जाकर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक किया जावे।

4. यह कि वादी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2016 की पालनार्थ एक आवेदन दिनाक 06.09.2016 को अधिनस्थ न्यायालय मे/ प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रकरण की समुचित जांच की जाकर प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 27.02.2017 को हल्का पटवारी सकरावदा के नाम यह आदेश जारी किया कि न्यायालय निर्णय की निम्न प्रकार पालना करे।
   1. ग्राम खैरूना का नामान्तकरण संख्या 78 निरस्त कर प्रस्तुत करें।
   2. ग्राम खैरूना ख0न0 314 रकबा 2.06 बीघा कर तुलसीराम पुत्र लक्ष्मण खैरूना के नाम
5. यह कि प्रतिवादी के द्वारा जारी आदेश की पालना मे प्रतिवादी ने एवं प्रतिवादी के अधिनस्थों ने वादी के खाते की भूमि ख0न0 314 रकबा 2.05 बीघा को ग्राम खैरूना का नामान्तकरण संख्या 78 निरस्त कर सिवाय चक तो दर्ज कर दिया है लेकिन प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के अधिनस्थों ने वादी के खाते की भूमि ख0न0 314 रकबा 2.05 बीघा को ग्राम खैरूना का नामान्तकरण संख्या 78 निरस्त कर सिवाय चक तो दर्ज कर दिया है। लेकिन प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के अधिनस्थों द्वारा ग्राम खैरूना की ख0न0 314 रकबा 2.06 बीघा का वादी तुलसीराम पुत्र लक्ष्मण खैरूआ के नाम नामान्तकरण दर्ज नही कर वादी को उक्त आराजी का खातेदार दर्ज नही किया जा रहा है। इस बाबत् वादी प्रतिवादी को आवेदन भी दे चुका है। और हल्का पटवारी से निवेदन भी दिनांक 22.08.2018 को कर चुका है। लेकिन हल्का पटवारी ने वादी को डांटकर– डपटकर वापस भगा दिया हैं और वादी के खिलाफ प्रतिवादी के अधिनस्थ हल्का पटवारी ने धारा 91 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर वादी को बेदखल करने और जुर्माना की राशि जमा करवाने के लिये डराया धमकाया और हल्का पटवारी ने प्रतिवादी पारित आदेश की पालना करने से मना कर दिया इसी कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
6. यह कि प्रतिवादी विवादित भूमि का सुप्रिम लेण्ड होल्डर है जिसको दिनांक 11.10.2018 को अवधि 2 माह का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन वाद अर्जेन्ट एवं इमिजिएट नेचर का होने के कारण नोटिस की मियाद पूर्ण होने से पूर्व ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र पेश करने की अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ संलग्न है।
7. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शूल्क पर अवधि मध्य पेश है।
8. यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी को वाके ग्राम खैरूना मे स्थित वादग्रस्त आराजी ख0नं0 314 रकबा 2.06 बीघा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर चालू राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के खिलाफ धारा 91 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत कार्यकारी न तो स्वयं करे और न ही अपने अधिनस्थों से करावे। वादी को वादग्रस्त आराजी को शान्तीपूर्वक काश्त करने देवे तथा अन्य न्यायोचित सहायता दिलायी जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथी को प्रतिवादी स्वयं उप0 नियत तिथि को प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने इस आशय का जवाब पेश किया–

1. बिन्दु स01 का जवाब रिकॉर्डनुसार स्वीकार है।
2. बिन्दु सं0 2 सिद्व करने का दायित्व वादी का है।

3. बिन्दु सं0 3 स्वीकार है।
4. बिन्दु सं0 4 आशिंक स्वीकार है।
5. बिन्दु सं0 5,6,7 व 8 न्यायिक प्रवृति का है।

निवेदन है कि मुताबिक आवंटन नकल वादी तुलसीराम पुत्र लक्ष्मण खैरवा नि0 खैरूना के ग्राम खैरूना की भूमि ख0न0 314 की 2.06 बीघा दिनांक 26.06.77 को आवंटन हुई है। जिसका नामा0 सं0 78 तुलसीराम पुत्र अमरलाल के नाम तस्दीक हुआ था जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर साहब शाहबाद द्वारा निरस्त किया जाने से दावा रिकॉर्ड मे ख0न0 314 को 2.06 बीघा भूमि सिवाय चक दर्ज है। अतः मुताबिक आवंटन पत्र के वादी के नाम ग्राम खैरूना की भूमि ख0न0 314 को 2.06 बीघा खाते दर्ज किया जाना उचित है।

पेरोकार सरकार के इकबालिया जवाब होने से तलबी कायम नही की गई। वादी अधि0 ने साक्ष्यवादी मे pw-1 तुलसीराम pw-2 देवीलाल के बयान लेखबद्व करवाये। दौराने बयान pw-1 तुलसीराम ने जाहिर किया कि

ग्राम खेरूना मे ख0न0 314 की 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है। यह जमीन करीब 40 वर्ष पहले अलोट हुई थी। अलोट होने के बाद गैर खातेदारी मे इन्तकाल नं0 78 खोलने समय मेरे पिता का नाम लक्षण के बजाय अमरलाल दर्ज कर दिया उसके बाद से 2014 तक मेरे नाम से खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी। मेने बाद मे इन्तकाल नं0 78 को निस्स्त करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद के यहॉ अपील पेश की थी। ए0डी0एम0 शाहबाद ने दिनांक 16.08.16 से इन्तकाल नं0 78 को निरस्त करते हुये तहसीलदार किशनगंज को रिमाण्ड कर दुबारा जॉच कर पुनः नामा0 तस्दीक करने का आदेश दिया था। तहसीलदार किशनगंज ने जॉच करने के पश्चात दिनांक 27.02.2017 को यह आदेश दिया था कि नामा0 सं0 78 निरस्त किया जावे तथा ग्राम खेरूना की ख0न0 314 रकबा 2 बीघा 6 बीस्वा तुलसीराम पुत्र लक्ष्मण के नाम नामा0 तस्दीक किया जावे। इस बाबत् पटवारी हल्का को दिनांक 27.02.2017 को तहसीलदार किशनगंज ने पत्र जारी किया। उक्त पत्र की पालना मे पटवारी हल्का ने नामा0 सं0 78 को निरस्त कर सिवाय चक दर्ज कर दिया लेकिन तुलसीराम पुत्र लक्ष्मण खैरूआ के नामा0 इन्तकाल दर्ज नही किया। इसके बाद मेने पटवारी हल्का से मिल कर निवेदन भी किया तो पटवारी हल्का पटवारी ने उक्त आराजी पर मुझे अविक्रमी बताया और मुझसे जुर्माने की मांग की इसके बाद मे प्रतिवादी क्रम 1 को 80 सी0पी0सी0 नोटिस देने के पश्चात ख0न0 314 की 2 बीघा 6 बीस्वा को मेरे खाते दर्ज करवाने हेतु इस अदालत मे दावा पेश किया है। साक्ष्य के समर्थन मे मेने आवंटन सूचि प्रदर्श p-1, आवंटन के पश्चात मुझे पटटा जारी किया प्रदर्श p-2 है। नामा0 सं0 78 जो प्रदर्श p-3 है। ए0डी0एम0 शाहबाद के दिनांक 16.08.2016 प्रमाणित प्रति प्रदर्श p-4 है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 06.09.216 को पेश किया जिसकी सत्यप्रतिलिपि मेने पेश की है। इसके बाद इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार किशनगंज द्वारा जॉचं करने के पश्चात दिनांक 27.07.2017 को हल्का पटवारी को पत्र प्रेषित किया जिसकी सत्य प्रति मेने पत्रावली मे पेश की है। इस पत्र की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 ख0न0 314 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा ग्राम खैरूना प्रदर्श p-5 है तथा दावा करने से पूर्व प्रतिवादी को मेरे अधि0 द्वारा विधिक नोटिस की सत्यप्रति मेने पत्रावली मे पेश की है। आवंटन के पश्चात से आज तक मे ही काश्त करता चला आ रहा मेरी अदालत से प्रार्थना है कि ग्रम खैरूना की मुझे आवंटनशुदा भूमि ख0न0 314 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मेरे खाते दर्ज की जावे।

वादी अधि0 ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधि0 की साक्ष्यवादी समाप्त की जाती है। वादी अधि0 की एकपक्षीय बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधि0 ने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 स्वीकार येाग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

वाकेग्राम खैरूना की आराजी ख0न0 314 रकबा 2.06 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.11.04 14:01:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: